दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 को प्रात: 11 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभाकक्ष वरूणालय फेज-2, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 में हुई 27वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्री सुरेन्द्र कुमार, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
2.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
3.	श्री प्रहलाद सिंह साहनी, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	सदस्य
4.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
5.	श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
6.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड	सदस्य
7.	श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव (शहरी विकास)	सदस्य
8.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य

बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 2 नवम्बर, 1999 को सम्पन्न 26 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई ।

संकल्प संख्या 449

मद संख्या 454 किशनगढ़ महरौली में प्राइमरी स्कूल नगर निगम के पास 3.5 लाख गैलन क्षमता वाले भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी)-3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/06 दिनांक 2.11.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि दिल्ली नगर निगम प्राइमरी विद्यालय, किशन गढ़ महरौली, नई दिल्ली के समीप 3.5 लाख गैलन क्षमता के भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य मै0 कंवरभान को निविदा राशि से 18% अधिक दर पर रू0 40,43,413.96 की कुल लागत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 450

मद संख्या 455 25,000 मी. टन. ओ. पी. सीमेंट की खरीद हेतु ।

25,000 मीट्रिक टन 33 ग्रेड आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की आपूर्ति का कार्य मै0 श्री सीमेंट लि0 को उनके द्वारा उदघृत रू0 108/ प्रति कटटे की विभागीय स्टोर पर पंहुच दर समस्त करों सहित, निविदा आमंत्रण सूचना के निबंधनों और शर्तो के अनुसार तथा रू0 5,40,00.000/- की कुल लागत पर आबंटित करने की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता (सी)-3 के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में कार्यवाई करने के लिए प्राधिकृत किया ।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्य अभियंता (सी)-3 ने स्पष्ट किया कि जिन कार्यो के लिए विभाग द्वारा सीमेंट आपूर्ति किये जाने की प्रतिबद्धता है । उन कार्यो के लिए सीमेंट की शेष मांग की पूर्ति वर्तमान खरीद तथा 30,000 मी. टन की प्रस्तावित अतिरिक्त खरीद से की जानी है, बोर्ड द्वारा पहले लिए गए निर्णय के अनुसार नये कार्यो के लिए सीमेंट और स्टील आदि की व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा स्वयं की जानी है । बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की, कि 30,000 मी. टन की अतिरिक्त खरीद के पश्चात् सीमेंट की खरीद बन्द कर दी जाए ।

संकल्प संख्या 451

मद संख्या 456 दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य अभियंता–सह–प्रमुख अभियंता (जल) के पदक्रम में रू0 18,400 – 22,400 के वेतनमान में तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा.एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/01 दिनांक 19.11.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य अभियंता–सह–प्रमुख–अभियंता (जल) के पद पर रू0 18,400–22,400 के वेतनमान तथा सामान्य भत्तों सहित श्री एस. के. छावड़ा की नियुक्ति को जारी रखने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा इस पद पर उनको दिनांक 1.1.99 से 31.12.2000 तक अथवा इस पद पर नियमित नियुक्ति किये जाने पर अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले लागू हो जारी रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई ।

संकल्प संख्या 452

मद संख्या 457 4448 मी. टन टौर/टी. एम. टी. स्टील की खरीद हेतु ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/8 दिनांक 22.11.99 में वर्णित 4448 मी. टन टौर स्टील/टी.एम.टी. छड़ों की आपूर्ति का कार्य मै0 सेल, मै0 टिस्को और मै0 रिन को उनके साथ बातचीत के दौरान तय दरों, निबंधनों एवं शर्तों, तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार रू0 7,21,67,378 की कुल राशि पर आबंटित करने की स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्य अभियंता (सी)–3 ने स्पष्ट किया कि जिन कार्यो के लिए विभाग द्वारा स्टील आपूर्ति किये जाने की प्रतिबद्धता है । उन कार्यो के लिए स्टील की शेष मांग की पूर्ति वर्तमान खरीद तथा 2000 मी. टन की प्रस्तावित अतिरिक्त खरीद से की जानी है, बोर्ड द्वारा पहले लिए गए निर्णय के अनुसार नये कार्यो के लिए सीमेंट और स्टील आदि की व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा स्वयं की जानी है । बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की, कि 2000 मी. टन की अतिरिक्त खरीद के पश्चात् स्टील की खरीद बन्द कर दी जाए ।

मद संख्या 458 गो प नी य ।

अलग से परिपत्रित किया गया है ।

संकल्प संख्या 453

मद संख्या 459 अलीपुर ब्लॉक के पल्ला क्षेत्र में 5000 मीटर आर. डी. पर स्थित 1200 मि0 मी0 व्यास की पी. एस. सी. की पानी की मुख्य लाइन तक आर.एस.ई. के साथ–साथ 230–300–700–900 मि0 मी0 व्यास की लोहे की पानी की मुख्य लाइन की व्यवस्था, बिछाना एवं जोड़ना ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/9 दिनांक 24.11.99 में वर्णित पल्ला क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल से आर. डी. 5000 मीटर पर 1200 मि0 मी0 व्यास की पानी की पी.एस.सी. मुख्य लाइन तक 250/300/700/900 मि0 मी0 व्यास की एम.एस. पाइप लाइन की व्यवस्था/बिछाने/जोड़ने के कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य को मै0 सुभाष पाइप्स लि0 को निविदा राशि से 6.60% निम्न दर पर रू0 2,30,65,445 की कुल लागत पर आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बोर्ड ने बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में अग्रिम कार्यवाई करने के लिए भी प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 454

मद संख्या 460 घौंड़ा–1 पर 12.4 एम.जी.डी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन के शेष कार्य का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/4 दिनांक 22.11.99 में वर्णित प्रस्ताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि घौंड़ा–1 में 12.4 मि0 गै0 दैनिक क्षमता के अवजल उपचार संयंत्र के निर्माण कार्य के शेष कार्य के लिए रू0 2,78,87,064/– के संशोधित अनुमान को कार्य पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने कार्य को मै0 वी. के. दीवान एण्ड कम्पनी को 25% अधिक दर पर, 10% की छूट घटाकर रू0 1,93,26,399.75 की कुल लागत पर आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी । बोर्ड ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में कार्यवाई करने के लिए प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 455

मद संख्या 461 नांगलोई दिल्ली में 40 एम.जी.डी. की क्षमता वाले पानी को साफ करने के उपकरण का निर्माण एवं प्राधिकार, "विद्युत एवं यांत्रिक के कार्यों के ऊपरी खर्च" मै0 एन.बी.सी.सी. लि0 (भारत सरकार का संस्थान) को भुगतान की स्वीकृति हेतु ।

मुख्य अभियंता (वाटर वर्क्स) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/3 दिनांक 24.11.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि नांगलोई दिल्ली में 40 मि.गै. दैनिक क्षमता के जल उपचार संयंत्र के निर्माण और चालू करने के लिए 458 लाख के विद्युत एवं यांत्रिक कार्यो पर 4.75% ओवरहैड़ चार्जिज के रूप में रू0 21.75 लाख का भुगतान मै0 एन.बी.सी.सी. (भारत सरकार का उपक्रम) को करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 456

मद संख्या 462 दिल्ली जल बोर्ड में विधि अधिक्षक के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन तथा कनिष्ठ विधि अधिकारी और विधि अधिक्षक के पद को सम्मिलित करना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/1 दिनांक 17.11.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड में विधि अधिंक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में संशोधन तथा कनिष्ठ विधि अधिकारी और विधि अधीक्षक के पद को सम्मलित करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि कनिष्ठ विधि अधिकारी/विधि अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 457

मद संख्या 463 अधीक्षण अभियंता (निर्माण)मल–5 द्वारा माह सितम्बर–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/03 दिनांक 3.11.99 में वर्णित अनुबन्धों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 458

मद संख्या 464 मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू.)के अधीनस्थ माह अप्रैल–99 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची ।

मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/2121 दिनांक 12.10.99 में वर्णित अनुबन्धों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 459

मद संख्या 465 मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू.) के अधीनस्थ माह जून–99 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची ।

मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/2259 दिनांक 2.11.99 में वर्णित अनुबन्धों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 460

मद संख्या 466 मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू.) के अधीनस्थ माह जुलाई–99 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यों की अनुबन्ध सूची ।

मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/2258 दिनांक 2.11.99 में वर्णित अनुबन्धों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है।

संकल्प संख्या 461

मद संख्या 467 बवाना में कच्चे पानी के पम्प हाऊस से बवाना–नरेला रोड़ स्थित 20 मि.गै. दैनिक क्षमता के जल उपचार संयंत्र तक 1200 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी./एम.एस. की कच्चे पानी की मुख्य लाईन की व्यवस्था, बिछाना एवं जोड़ना ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/10 दिनांक 26.11.99 में वर्णित बवाना में कच्चे पानी की पम्प हाऊस से बवाना–नरेला रोड़ पर स्थित 20 मि.गै. दैनिक क्षमता के जल उपचार संयंत्र तक कच्चे पानी की 1200 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी./एम.एस. की मुख्य लाईन की व्यवस्था/बिछाने/जोड़ने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 434.38 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 462

मद संख्या 468 बलजीत नगर, करोल बाग में 3.50 मिलियन लीटर क्षमता के भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/11 दिनांक 26.11.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि बलजीत नगर, करोल बाग में 3.50 मिलियन लीटर क्षमता के भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेशन के निर्माण कार्य को रू0 72 लाख की कुल लागत पर मै0 ग्लैग इन्जीनियर्स (प्रा0) लि0 को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 463

मद संख्या 469 मसूरी स्थित विश्राम गृह (होली डे होम) के लिए केयरटेकर के पद को 9.9.1999 से स्थायी आधार पर सृजित करने की स्वीकृति ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/01 दिनांक 26.11.99 में वर्णित मसूरी स्थित विश्राम गृह के लिए केयरटेकर के पद को रू0 4000–6000 के वेतनमान + रू0 700 प्रति माह का विशेष भत्ता + रू0 15 प्रति माह धुलाई भत्ता जमा नियमानुसार देय सामान्य भत्तों सहित दिनांक 9.9.1999 से स्थायी आधार पर सृजित करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 464

मद संख्या 470 समाचार पत्रों/निविदा पत्रिका/प्रकाशनों को सूचीबद्ध करना तथा वित्तीय वर्ष 1999–2000 के लिए उनकी दरों की स्वीकृति ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/2 दिनांक 27.11.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि समाचार पत्रों के लाम्बित पड़े बिलों का भुगतान कर दिया जाए और समाचार पत्रों की छटाई की आवश्यकता बताई । अपर्याप्त परिचालक वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन और निविदा आमंत्रण सूचनाएं जारी किए जाने की नीति की भी आगे जांच करने की आवश्यकता है ।

संकल्प संख्या 465

मद संख्या 471 नजफगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत बापरोला गाँव के आवासीय परिरुर में पेयजल की व्यवस्था करना ।

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड//99/03 दिनांक 29.11.99 में वर्णित नजफगढ़ जोन के बापरोला गाँव स्थित आवासीय परिसर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य को रू0 22,06,706 की अनुमानित लागत से 50% अधिक की दर पर रू0 33,10,059 की कुल लागत पर मै0 जैनको बिल्डर्स प्रा0 लि0 को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 466

मद संख्या 472 बवाना गाँव में 1000 मि.मी. व्यास की पानी की एम.एस. पाइप लाईन से पूठ खूर्द गाँव तक 350–300 मि.मी. व्यास की पानी की सी.आई. पाइप लाईन की व्यवस्था व बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/4 दिनांक 29.11.99 में वर्णित बवाना गाँव में 1000 मि.मी. व्यास की एम.एस. पाइप लाईन से पूठ खूर्द गाँव तक 350–300 मि.मी. व्यास की सी.आई. पाइप लाईन की व्यवस्था और बिछाने के कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 1,01,65,178 के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 467

मद संख्या 473 दिल्ली जल बोर्ड में सहायक निदेशक (बागवानी) के पद हेतु भर्ती नियम ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/2 दिनांक 29.11.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड के सहायक निदेशक (बागवानी) के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इन नियमों को स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इनको अधिसूचित किए जाने से पहले संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति लिए जाने के लिए भी प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 468

मद संख्या 474 सहयोग विहार से सी.टी. 3 पप्पन कलां तक 900 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी./एम.एस. पानी की लाईन की व्यवस्था, बिछाना, जोड़ना व चालू करना ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/12 दिनांक 29.11.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि सहयोग विहार से पप्पन कलां क्षेत्र में स्थित सी.टी. 3 तक 900 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी./एम.एस. पानी की मुख्य लाइनों की व्यवस्था/बिछाने/जोड़ने तथा इन्हें चालू किए जाने के कार्यो को निविदा राशि से 2.99% कम पर रू0 1,03,67,143.02 की कुल लागत पर मै0 तिरूपति सीमेंट प्रोडक्ट को आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इच्छा प्रकट की गई कि भविष्य में नक्शों और तकनीकी संक्षिप्ति को और अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित ढ़ंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

संकल्प संख्या 469

मद संख्या 475 दिनांक 1.1.2000 से 31.12.2000 की अवधि के लिए पानी के बिलों का मै0 कमप्यूटेक सर्विसेज के माध्यम से कमप्यूट्रिकरण ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/03 दिनांक 29.11.99 में वर्णित दिनांक 1.1.2000 से 31.12.2000 की अवधि तक के लिए पानी के बिलों का कमप्यूट्रिकरण के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड द्वारा 19 क्षेत्रों में बिलों के कमप्यूट्रिकरण की प्रक्रिया को मै0 कमप्यूटैक सर्विसेज के माध्यम से विद्यमान दरों और निबंधनों एवं शर्तो के आधार पर जारी रखने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बोर्ड द्वारा यह भी संकल्प लिया गया कि शेष 9 क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को मै0 कमप्यूटैक सर्विसेज के माध्यम से पहले से स्वीकृत दरों, निबंधनों एवं शर्तो पर आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 470

मद संख्या 476 अलीपुर ब्लॉक में पल्ला गांव के पास यमुना नदी की बाढ़ क्षेत्र में 30 नलकूपों को स्थापित करना तथा चलाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/13 दिनांक 13.11.99 में वर्णित दिल्ली में अलीपुर ब्लॉक के पल्ला गांव के समीप यमुना नदी के किनारे 30 ट्यूबवैलों को लगाने व चालू करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 280 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में कार्यवाई करने के लिए प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 471

मद संख्या 477 नरेला से 20 मि.गै.दैनिक क्षमता के जल उपचार संयंत्र बवाना तक 600 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी./एम.एस. पानी की मुख्य लाइन की व्यवस्था, बिछाना एवं जोड़ना ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/14 दिनांक 1.12.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि नरेला से बवाना स्थित 20 मि.गै. दैनिक जल उपचार संयंत्र तक 600 मि.मी. व्यास की पानी की पी.एस.सी./एम.एस. मुख्य पाप लाईन को व्यवस्था/बिछाने/जोड़ने के कार्य को मै0 सुभाष पाइप्स लि0 को उनके द्वारा उदधृत 5.5% कम दर पर रू0 1,29,13,592.27 की कुल लागत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 472

मद संख्या 478 राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में माउन्टेड टैंकरों तथा माध्यम मोटर वाहनों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति हेतु वाहनों को किराए पर लगाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र क्रमांक — दि.ज.बोर्ड/99/10 दिनांक 1.12.1999 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि दिनांक 1.12.99 से 15.12.99 तक 400 वाहनों को तथा दिनांक 16.12.99 से 29.2.2000 तक 150 वाहनों को 12 घण्टे प्रतिदिन के लिए पहले स्वीकृत दरों पर किराए पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 473

मद संख्या 479 कच्चा पानी पम्प हाउस–प्रथम, हैदरपुर संयंत्र का एल.टी. पैनल बदलने हेतु ।

मुख्य अभियंता (वाटर वर्क्स) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/4 दिनांक 1.12.99 में वर्णित हैदरपुर प्लांट–1 के कच्चे पानी के पम्प हाऊस के एल.टी.पैनल को बदलने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 35,65,000/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस कार्य को मै0 हाइड्रो टैक इन्टरप्राइजेज (प्रा0) लि0 को प्रस्ताव में वर्णित निबंधनों एवं शर्तो पर रू0 36,13,500/ की लागत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 474

मद संख्या 480 दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 की धारा 22 और 92 के अन्तर्गत शक्तियों का समर्पण ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक निदेशक (प्रशा.एवं का.)/99/3 दिनांक 30.11.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 की धारा 22 और 92 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा विचार विमर्श के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड का मत था कि तकनीकी पक्ष से सम्बन्धित सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में शक्तियों का प्रत्यायोजन सम्बन्धित मुख्य अभियंता को किया जाए । जिन मामलों में एक से अधिक अधिकारी संलिप्त हों, उन मामलों के लिए प्रमुख अभियंता की संस्तुति के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता के स्तर का एक नोडल अधिकारी प्राधिकृत किया जाएगा ।

संकल्प संख्या 475

मद संख्या 481 दिल्ली जल बोर्ड में अवर श्रेणी लिपिक के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/5 दिनांक 2.12.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 476

मद संख्या 482 दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ आशुलिपिक पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/4 दिनांक 2.12.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पद नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 477.

मद संख्या 483 दिल्ली जल बोर्ड में सहायक अभियंता (वि.एवं या.) के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/6 दिनांक 2.12.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड में सहायक अभियंता (वि.एवं या.) के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने भर्ती नियमों को संस्तुति हेतु संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने के लिए भी प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 478

मद संख्या 484 थोक (वाणिज्यिक) उपभोक्ताओं के लिए बायो गैस प्रभारों में संशोधन ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/4 दिनांक 3.12.99 में वर्णित थोक (वाणिज्यिक) उपभोक्ताओं के लिए बायो गैस प्रभारों में संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि दरों में निम्न प्रकार वृद्वि से वृद्वि करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	श्रेणी	विद्यमान दरें	प्रस्तावित दरें
(क)	थोक (वाणिज्यिक)	रू0 100/- प्रति 1000 घन फुट	रू0 125/-प्रति 1000 घन फुट
(ख)	घरेलु सामान्य जनता	रू0 100 प्रति माह	कोई परिवर्तन नहीं
(ग)	घरेलु (दि.ज.बोर्ड के कर्मचारी जो विभागीय आवासों में रह रहें हैं)	रू0 एक प्रतिदिन	कोई परिवर्तन नहीं
(घ)	देर से भुगतान करने पर अधिभार	रू0 एक प्रतिदिन	कोई परिवर्तन नहीं
(ड)	कनैक्शन काटे जाने का शुल्क	रू0 10/-	रू0 50/-
(च)	कनैक्शन पुनः जोड़े जाने का शुल्क	रू0 10/-	रू0 50/-

संकल्प संख्या 479

मद संख्या 485 चितरंजन पार्क बूस्टर पम्पिंग स्टेशन में विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों की पूर्ति, वितरण, निर्माण, जाच एवं प्राधिकार देना ।

मुख्य अभियंता (वाटर वर्क्स) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/5 दिनांक 3.12.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि चितरंजन पार्क कालका जी के डी.डी.ए. पाकेट के एन./जे. ब्लॉक में पेयजल आपूर्ति के समवर्द्वन के कार्य मै0 आर.के. प्रोजेक्टस प्रा. लि. को रू0 47,37,850/- की कुल लागत पर निविदा आमंत्रण सूचना की निबंधनों एवं शर्तो/फर्म के प्रस्ताव तथा बाद के स्पष्टीकरणों के आधार पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में कार्यवाई करने के लिए भी प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 480

मद संख्या 486 दिल्ली में पेयजल वितरण प्रक्रिया में सुधार हेतु मुख्य अभियंता (सी) का एक पद, अधिक्षण अभियंता (सिविल) का एक पद, अधिक्षण अभियंता (वि.एवं या.) का एक पद, अधिशासी अभियंता (वि.एवं या.) का एक पद, सहायक कर्मचारी वर्ग के पदों सहित सृजित करना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/07 दिनांक 3.12.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि दिल्ली में पेयजल वितरण प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रस्ताव में दिए गए विवरण के अनुसार मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद, अधिक्षण अभियंता (सी) का एक पद, अधिक्षण अभियंता (वि.एवं या.) का एक पद, अधिशासी अभियंता (वि.एवं या.) का एक पद सहायक स्टाफ सहित सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या481

ITEM NO. 487 Provision of water supply and sewerage services in the unauthorised-regularised colonies - change in policy and revision of rates of development charges.

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/5 दिनांक 3.12.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि नीति में परिवर्तन तथा दरों में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 482

मद संख्या 488 जल कनैक्शन काटे जाने व खोले जाने के शुल्क में संशोधन ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/6 दिनांक 3.12.99 में वर्णित जल कनैक्शन को काटे जाने तथा कनैक्शन को खोले जाने के शुल्क में संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि दरों में निम्न प्रकार संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

		विद्यमान दरें	प्रस्तावित दरें
(क)	सर्विस लाइन से जल कनैक्शन काटा जाना	रू0 25/-	रू0 100/- प्रति कनैक्शन
(ख)	फैरूल से जल कनैक्शन काटा जाना	शून्य	रू0 1000/- प्रति कनैक्शन
(ग)	नये कनैक्शन को खोलने (निरीक्षण) के लिए शुल्क ।	रू0 25/-	रू0 100/- प्रति कनैक्शन

आगे, बोर्ड का मत था कि भुगतान न किए जाने के कारण काटे गए जल कनैक्शनों को उपभोक्ता द्वारा देय राशियों और कनैक्शन काटे जाने के प्रभारों का भुगतान करने पर क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी, क्षेत्रीय अभियंता (जल) की स्वीकृति से अपने खर्चे पर पुनः खोला जाएगा/चालू किया जाएगा । यह कार्य लाइसैन्स शुदा पलम्बर के माध्यम से कराया जाएगा । जहाँ भी आवश्यक हो, उपभोक्ता दिल्ली नगर निगम को सड़क पुनर्स्थापना प्रभारों का भुगतान करने के लिए भी उतरदायी होगा ।

संकल्प संख्या 483

मद संख्या 489 65 ब्लॉक नई रोहतक रोड़ से गुरूद्वारा रेलवे कालोनी किशन गंज तक 900 मि.मी. व्यास की ट्रंक सीवर की मरम्मत/पुर्नस्थापित करने का कार्य ।

मुख्य अभियंता (सी)-2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/99/4 दिनांक 4.12.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि 65 ब्लॉक रोहतक रोड़ से किशनगंज रेलवे कालोनी तक 900 मि.मी. व्यास की ईंटों की चिनाई युक्त ट्रंक सीवर की पुर्नस्थापना के कार्य के लिए रू0 479.87 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा

1. बोर्ड की बैठक में विचारणीय विषयों की लम्बी सूची पर ध्यान देते हुए बोर्ड का मत था कि बोर्ड की बैठकों का आयोजन इस अन्तराल से किया जाए जिससे कि बैठक में नियंत्रित संख्या में विषयों पर चर्चा की जा सके । प्रधान सचिव (शहरी विकास) का मत था कि पिछली बैठक, जिसका कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाता है, में लिए गए निर्णयों पर "की गई कार्यवाई का विवरण" (एक्शन टेकन नोट) भी नियमित रूप से बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए ।

2. दिल्ली में भूजल प्रबन्धन के लिए किसी स्वतंत्र प्राधिकरण के सृजन की तुलना में दिल्ली जल बोर्ड के "नोडल एजेन्सी" के रूप में कार्य करने की साध्यता के सम्बन्ध में बोर्ड ने विचार किया। निजी टयूबवैलों की खुदाई तथा उनके उपयोग पर नियंत्रण तथा दिल्ली जल बोर्ड का जल आपूर्ति से सम्बन्धित होना तथा भूजल के उपयोग सम्बन्धि विनियमों की विभिन्नताओं पर भी चर्चा हुई । बोर्ड के सदस्यों का मत था कि दिल्ली जल बोर्ड को भूजल के उपयोग के नियंत्रण के कार्य के बजाय पेयजल आपूर्ति के सम्बर्द्धन के कार्य पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए । यह आभास किया गया कि इस मामले पर बाद में विचार विमर्श किया जा सकता है ।

यह भी विचार किया गया कि अनाधिकृत जल कनैक्शनों को नियमित करने के लिए लगाए जा रहे शिविरों में बोर्ड के सदस्यों को भी संलिप्त किया जाना चाहिए । स्थानीय आधार पर पर्चे बांटकर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से इस कार्य का पर्याप्त प्रचार किया जाए ।

3. बोर्ड ने संकल्प लिया कि दिल्ली जल बोर्ड में एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की जाए । जिसके पास आवश्यक शक्तियां तथा कर्मचारी हों, जिससे अनियमितताओं की जांच की जा सके । मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बोर्ड को आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

4. चर्चा के दौरान सदस्यों का मत था कि दिल्ली जल बोर्ड के कार्यो के निष्पादन के लिए चुने जाने वाले ठेकेदारों का निर्धारण उददेश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए । अधिक परिचालन वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाने चाहिए, स्वीकृत ठेकेदारों की सूची को जांच हेतु बोर्ड के सम्मुख भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

5. श्रीमती रोशनी बंसल ने मत प्रकट किया कि जंहा तक सम्भव हो संगठन के उच्च पदों पर आसीन होने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए ।

6. बोर्ड के सदस्यों का मत था कि दिल्ली को कच्चे पानी की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में बोर्ड के सदस्यों को हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए । भविष्य में जब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली में होंगे, इस सम्बन्ध में उनके साथ बैठक निर्धारित की जा सकती है ।

7. चर्चा के दौरान श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव (शहरी विकास) ने यह मुददा उठाया कि दिल्ली जल बोर्ड में विधि से सम्बन्धित कार्यो में वृद्वि होने से बोर्ड के विधि पक्ष को सुदृढ़ करने का औचित्य है । बोर्ड का मत था कि कर्मचारियों को विधि से सम्बन्धित मामलों में सहायता देने तथा विधि मामलों के सफल निष्कर्ष/निष्पादन के लिए आवश्यक कार्यवाई हेतु न्यायिक सेवा के वरिष्ठ कर्मी को प्रति नियुक्ति पर रखने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करें ।

8. सदस्यों नें अभियांत्रिक कार्यो की प्रगति पर अपनी चिन्ता प्रकट की । बोर्ड ने संकल्प लिया कि सभी कार्यो को निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाए तथा कार्यो की गुणवत्ता का कठोरता से अन्वीक्षण किया जाए । निविदाओं के प्राप्त होने तथा स्वीकृति प्रदान किए जाने के मध्य का समय 6 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए, कार्य आवंटन तथा कार्य के वास्तविक निष्पादन के मध्य का समय 15 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए ।

शीला दीक्षित
अध्यक्ष

सचिव अरविंद रे

गोपनीय

मद संख्या 458 दिल्ली जल बोर्ड में श्री वाई.पी. मनचन्दा, अधिशासी अभियंता (सिविल), श्री आर.के. सिंह, सहायक अभियंता (सिविल) तथा श्री हरीचन्द, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/सतर्कता/99/4343 दिनांक 19.11.99 में वर्णित प्रस्ताव को आगामी बैठक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया ।

सचिव अरविन्द दे

शीला दीक्षित
अध्यक्ष